



राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प. 7(228)एकेडमिक कौंसिल / डीएमई / अकैड / 2021

जयपुर, दिनांक: 8/8/21

आदेश

निदेशालय चिकित्सा शिक्षा, जयपुर के आदेश क्रमांक 16(49)DME/IT Section/ Smart class/2021/2852 दिनांक 13.09.2021 द्वारा गठित राज्य स्तरीय "Co-ordination Committee for Academic & Research in Medical Education - (CCARME) में राज्य सरकार द्वारा निम्नानुसार चिकित्सक शिक्षकों को उनके नाम के सम्मुख अंकित पदानुसार नामित किया जाता है :-

| क्र.स. | नामित चिकित्सक शिक्षक | नामित पद |
|--------|--|----------------|
| 1 | डॉ. वीर बहादुर सिंह, प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, अजमेर | सह अध्यक्ष |
| 2 | डॉ आर.के. असेरी, प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, बाड़मेर | विशेषज्ञ सदस्य |
| 3 | डॉ. अमरजीत मेहता, वरिष्ठ आचार्य, शिशु औषध, मेडिकल कॉलेज, जयपुर | विशेषज्ञ सदस्य |

आज्ञा से,
8/8/21
(सुनील शर्मा)
शासन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
3. आयुक्त, निदेशालय चिकित्सा शिक्षा, जयपुर।
4. निदेशक, राजस्थान मेडिकल एज्युकेशन सोसाईटी, जयपुर।
5. डॉ. वीर बहादुर सिंह, प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, अजमेर।
6. डॉ. आर.के. असेरी, प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, बाड़मेर।
7. डॉ. अमरजीत मेहता, वरिष्ठ आचार्य, शिशु औषध, मेडिकल कॉलेज, जयपुर।
8. एसीपी, चिकित्सा शिक्षा विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
9. रक्षित पत्रावली।

8/8/21
(अशोक कुमार सोनी)
शासन उप सचिव